

कार से 1 5 लाख रुपये का डोडा-चूरा बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस ने कार से 101 किलो 414 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा बरामद किया

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके की सीमलिया पुलिस टीम ने नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए कार से अवैध मादक पदार्थ 1०1 किलो 414 ग्राम डोडा-चूरा सहित दो तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम द्वारा पकड़ी गई मादक पदार्थ की अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई गई है। अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सीमलिया पुलिस व जिला विशेष टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई को अंजाम दिया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि अवैध मादक पदार्थ की तस्कारी व तस्करों की धरपकड़ को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सिमलिया थानाधिकारी नन्द सिंह व जिला विशेष टीम ने मय जाब्ता संयुक्त रूप से



कोटा ग्रामीण की सीमलिया पुलिस टीम ने कार से अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा जब्त किया।

कार्रवाई करते हुए नाकाबंदी कर

पुलिस नाकाबंदी को देखकर एक

प्रयास किया तो मौके पर मौजूद पुलिस

■ अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ सीमलिया पुलिस व जिला विशेष टीम ने कार्रवाई की

और कार में सवार लोगों को डिटैन कर तलाशी ली। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को दोनों के पास से अवैध मादक पदार्थ 1०1 किलो 414 ग्राम डोडा-चूरा बरामद हुआ। पुलिस टीम ने मादक पदार्थ व कार को जब्त किया एवं एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करते हुए कार में सवार जिला नागौर के डारों की ढाणी रेण निवासी बनवारी (40) एवं जिला नागौर के पोलास निवासी सुरेश (38) को गिरफ्तार किया है। पकड़े गये दोनों तस्करों से अनुसंधान जारी है।

विदेश भेजने के नाम पर ठगी

श्रीगंगानगर, (निसं)। विदेश भेजने के नाम पर युवक से लाखों ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी ने फर्जी ऑफर लेटर और एग्रीमेंट देकर दो भाइयों से करीब 2.80 लाख रुपए ले लिए।

जानकारी अनुसार रायसिंहनगर थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क कर आरोपी ने खुद को विदेश भेजने का एक्सपर्ट बताया और माल्टा व क्रोएशिया में जांब लगवाने का झांसा दिया। पुलिस को दी रिपोर्ट में प्रेम कुमार निवासी रायसिंहनगर ने बताया कि उनका संपर्क सोशल मीडिया के जरिए अंकुर चौधरी नाम के व्यक्ति से हुआ। अंकुर ने खुद को विदेश भेजने का एक्सपर्ट बताया और अपना ऑफिस उत्तर प्रदेश के भूडाना में होना बताया। प्रेम कुमार 21 अगस्त 2०24 को भूडाना गए। वहां आरोपी अंकुर ने उनके भाई रिछपाल को माल्टा भेजने का झांसा देकर 1 लाख 80 हजार रुपए ले लिए।

इंस्टाग्राम के जरिये अजमेर का युवक पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड से संपर्क में था, जांच में खुलासा

बम विस्फोट की साजिश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ, कई शहरों में धमाकों की साजिश थी

■ जांच में सामने आया कि अली अकबर ने साजिश में शामिल अन्य दो आरोपियों को दिल्ली में अपने दोस्त रहमान के यहां ठहरने की सुविधा उपलब्ध कराई थी

■ वहीं जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दिल्ली के सफदरगंज, पंजाब के मलेरकोटला, पठानकोट, अंबाला कैंट और हनुमानगढ़ के सैन्य क्षेत्र को निशाना बनाने की योजना बनाई थी

अजमेर, (निसं)। बम विस्फोट की साजिश के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। अजमेर निवासी अली अकबर की दोस्तो पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी से इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। इसी संपर्क के माध्यम से वह आतंकी गतिविधियों में शामिल हुआ और अन्य आरोपियों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा।

जांच में सामने आया कि अली

अकबर ने साजिश में शामिल अन्य दो आरोपियों बुलंदशहर निवासी अनस और अंबाला निवासी जगबीर को दिल्ली में अपने दोस्त रहमान के यहां ठहरने की सुविधा भी उपलब्ध कराई थी।

हरियाणा के अंबाला में एसटीएफ ने तीनों को विस्फोटक सहित गिरफ्तार किया था। सूत्रों के अनुसार, इंस्टाग्राम पर बातचीत के दौरान शहजाद भट्टी ने अली अकबर का ब्रेनवॉश किया और

उसे पैसों का लालच देकर आतंकी गतिविधियों के लिए तैयार किया। बाद में बातचीत के लिए 'सिग्नल' ऐप का इस्तेमाल किया जाना लगा, जहां से विस्फोट स्थलों के वीडियो भी साझा

किए जाते थे। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने दिल्ली के सफदरगंज, पंजाब के मलेरकोटला, पठानकोट, अंबाला कैंट और हनुमानगढ़ के सैन्य क्षेत्र को निशाना बनाने की योजना बनाई थी। इनमें से हनुमानगढ़ के तोपखाने को उड़ाने की योजना को अंतिम रूप दिया गया था, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया।

फिलहाल सुरक्षा एजेंसियां चौबे आरोपी

की तलाश में जुटी हैं, जिसे विस्फोटक सीपा जाना था। तीनों आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में और गिरफ्तारियां होने की संभावना जताई जा रही है।

बीकानेर में 11 साल बाद महिला टीचर की जाइनिंग पर विवाद

नियमों की अनदेखी के आरोप लगाकर लोकायुक्त में शिकायत की

बीकानेर, (निसं)। एक महिला शिक्षिका को करीब 11 साल बाद दोबारा सरकारी सेवा में जोड़ने कराने और सीधे शहर में पोस्टिंग देने का मामला विवादों में आ गया है। इस पर नियमों की अनदेखी के आरोप लगाते हुए लोकायुक्त में शिकायत की गई है। वहीं शिक्षा विभाग का कहना है कि पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत ही की गई है।

बीकानेर के उदयगमसर गांव निवासी सीमा यादव ने लोकायुक्त को दी शिकायत में बताया कि संबंधित महिला शिक्षिका जालवाली गांव में पोस्टेड थी और 16 जुलाई 2०14 से अवकाश पर चल रही थी। शिकायत में

कहा गया है कि शिक्षिका लंबे समय तक बिना सूचना के गैरहाजिर रही, लेकिन इसके बावजूद विभाग ने नियमानुसार कोई सख्त कार्रवाई नहीं की।

परिवाद में उल्लेख किया गया है कि नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 5 साल तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहता है, तो उसे सेवा से हटाया जा सकता है। इसके बावजूद 16 जून 2025 को शिक्षिका को फिर से जॉइन करा दिया गया, जिसे नियमों के खिलाफ बताया जा रहा है। शिक्षातत्कर्ता का आरोप है कि जॉइनिंग के बाद शिक्षिका को गांव के बजाय सीधे

बीकानेर शहर में पोस्टिंग दे दी गई, जो नियमों के विपरीत है। इस संबंध में करीब पांच पेज की शिकायत लोकायुक्त को दी गई है।

डीईओ किसनदान चारण ने बताया कि टीचर की जॉइनिंग और पोस्टिंग विभागीया नियमों और निर्देशों के अनुसार ही की गई है। लोकायुक्त से शिकायत मिलती है तो विभाग की ओर से पूरा जवाब दिया जाएगा। शिकायतकर्ता सीमा यादव का कहना है कि 11 साल बाद ज्वाइन कराने का कोई स्पष्ट नियम नहीं है। बीकानेर स्तर पर कार्रवाई नहीं होने के कारण ही लोकायुक्त में शिकायत की गई है।

पागल श्वान ने दस लोगों पर हमला किया

मसूदा, (निसं)। मसूदा उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत किराप में एक कुत्ते के पागल हो जाने से गांव में अफरा-तफरी मच गई। पागल कुत्ते (श्वान) के हमले में दो बुजुर्गों और एक बच्चे सहित 1० ग्रामीण घायल हो गए। पागल कुत्ते (श्वान) ने करीब आधा दर्जन गायों और भैंसों को भी काट लिया।

मिली जानकारी के अनुसार पागल हो जाने पर कुत्ता किराप की गलियों में दौड़ता रहा और ग्रामीणों को अपना शिकार बनाता रहा। सबसे पहले उसने घर से निकल रहे बुजुर्ग पर्वत सिंह को काटा। इसके बाद कुत्ते ने प्रेम सिंह, प्रवीण सिंह, पुष्पी सिंह, कलावती, रामेश्वरी, तारा देवी, सुखदेव सहित अन्य व्यक्तियों को घायल कर दिया। घायल ग्रामीणों को तुरंत किराप के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मसूदा चिकित्सालय रेफर कर दिया।

भारत-पाक सीमा पर सुरक्षा कारणों से नए प्रतिबंध लागू

अनूपगढ़, (निसं)। जिले में भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे क्षेत्रों में सुरक्षा कारणों से जिला प्रशासन ने प्रतिबंध लागू किए हैं। जिला कलैक्टर डॉ. मंजू ने आदेश जारी कर अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में विशेष पाबंदियां लगाई हैं। ये आदेश श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ़ और घड़साना उपखंडों से लगती सीमा पर प्रभावी रहेंगे।इन प्रतिबंधों के तहत, अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के क्षेत्र में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक आम नागरिकों की आबाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि, जिन किसानों को अपनी कृषि भूमि पर सिंचाई या अन्य आवश्यक कार्यों के लिए जाना होगा, उन्हें संबंधित सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के बॉर्डर पोस्ट अधिकारी या सेना के अधिकारी से पूर्व अनुमति लेनी होगी। रात के समय इस क्षेत्र में तेज रोशनी

और तेज ध्वनि वाले उपकरणों का

उपयोग भी प्रतिबंधित किया गया है।

इसमें पटाखे, बैड, डीजे और अन्य तेज

आवाज वाले साधन शामिल हैं। राज्य

और केंद्र सरकार के कर्मचारी अपने

आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान इन

पाबंदियों से मुक्त रहेंगे। जिला मजिस्ट्रेट

ने एक लिख आदेश में पाकिस्तानी

लोकल सिम कार्ड के उपयोग पर भी

पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। प्रशासन के

अनुसार, सीमा के पास पाकिस्तानी

मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय

सेना में लगभग तीन से चार किलोमीटर

तक पहुंच सकता है, जिससे राष्ट्रीय

सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होने की आशंका

बनी रहती है। इसी आशंका के मद्देनजर,

जिले के उन सभी क्षेत्रों में जहां

पाकिस्तानी नेटवर्क की पहुंच संभव है,

किसी भी व्यक्ति द्वारा पाकिस्तानी

लोकल सिम का उपयोग पूरी तरह

वर्जित कर दिया गया है।

चौमूं : ढोढसर बस स्टैंड पर 7 5 दुकानें व 1 0 मकान ध्वस्त, मुआवजे को लेकर विवाद बढ़ा



ढोढसर के बस स्टैंड क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की।

निवासी जगदीश प्रसाद खटीक ने आरोप लगाया कि उनका पुरैनी मकान ग्राम पंचायत के पट्टों पर बना हुआ था, इसके बावजूद बिना सुनवाई के उसे ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से कई परिवारों के सामने आवास और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है। भाजपा मण्डल अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह शेखावत ने आरोप लगाया कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में एकरूपता नहीं बरती गई। कहीं 3० मीटर, कहीं कम और कहीं अधिक सीमा तक तोड़फोड़ की गई, जिससे पक्षपात की आशंका पैदा होती है। उन्होंने यह भी कहा कि सड़क के दोनों ओर समान रूप

से कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि एनएचआई सीमा में आने वाले मन्दिरों और एक स्कूल पर भी कार्रवाई की गई, जबकि उन्हें हटाने से पहले उचित मांगों को लेकर

केन्द्र और राज्य सरकार को शिकायत भेजी जाएगी। साथ ही स्थानीय लोग एसडीएम चौमूं को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क के दोनों तरफ से 6० मीटर पर सड़क के दुसरे छोर पर 3० मीटर व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गई है। अतिक्रमण हटाने कि

■ आरोप है कि एनएचआई ने सीमा में आने वाले मन्दिरों और एक स्कूल पर भी कार्रवाई की गई, जबकि उन्हें हटाने से पहले उचित प्रक्रिया और मुआवजा दिया जाना चाहिए था

■ मकान व दुकान मालिकों ने मुआवजे को लेकर नाराजगी जताई, साथ ही कार्रवाई को लेकर लोगों ने सवाल उठाए

मौके पर पुलिस बल के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की टीम भी मौजूद रही। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान नियमानुसार चलाया गया। जानकारी के अनुसार भाजपा मण्डल अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह शेखावत कहा कि इस संबंध में हमारे उचित मांगों को लेकर केन्द्र और राज्य सरकार को शिकायत भेजी जाएगी। साथ ही स्थानीय लोग एसडीएम चौमूं को ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे।

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि अतिक्रमण हटाने के कार्रवाई हाईकोर्ट के आदेश पर की गई राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सड़क के दोनों तरफ से 6० मीटर पर सड़क के दुसरे छोर पर 3० मीटर व अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई गई है। अतिक्रमण हटाने कि

कार्रवाई से लगभग 1० दिन पहले मकानों और दुकानों सहित अन्य जगहों पर लाल मार्किंग कर, मकान एवं दुकानों से सामान हटाने के लिए लगातार कह रहे थे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की पेट्रोलियम गाड़ी से भी अनाउंसमेंट कर दुकान व मकानों से सामान हटाने को लेकर कहा जा रहा था। लेकिन यह समय पर दुकानों और मकानों से सामान नहीं हटाया गया जिसके बाद स्थानीय प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई। दुकान व मकान मालिक अपने कारगजत जिला कलेक्टर या एडीएम के पास नियम अनुसार प्रस्तुत करके नियम अनुसार अपना मुआवजा ले सकते हैं। गोविन्दगढ़ नायब तहसीलदार सुरेश देवदत्त गोविन्दगढ़ थाने के एएसआई जगदीश सिंह राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर साईट इंजीनियर कार्तिक पारीक एवं वीरेंद्र सिंह मौके पर मौजूद थे।

कार्रवाई से लगभग 1० दिन पहले

मकानों और दुकानों सहित अन्य जगहों

पर लाल मार्किंग कर, मकान एवं दुकानों

से सामान हटाने के लिए लगातार कह

रहे थे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

की पेट्रोलियम गाड़ी से भी अनाउंसमेंट

कर दुकान व मकानों से सामान हटाने को

लेकर कहा जा रहा था। लेकिन यह समय

पर दुकानों और मकानों से सामान नहीं

हटाया गया जिसके बाद स्थानीय

प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को

हटाने की कार्रवाई की गई। दुकान व

मकान मालिक अपने कारगजत जिला

कलेक्टर या एडीएम के पास नियम

अनुसार प्रस्तुत करके नियम अनुसार

अपना मुआवजा ले सकते हैं। गोविन्दगढ़

नायब तहसीलदार सुरेश देवदत्त

गोविन्दगढ़ थाने के एएसआई जगदीश

सिंह राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर साईट

इंजीनियर कार्तिक पारीक एवं वीरेंद्र

सिंह मौके पर मौजूद थे।

कार्रवाई से लगभग 1० दिन पहले

मकानों और दुकानों सहित अन्य जगहों

पर लाल मार्किंग कर, मकान एवं दुकानों

से सामान हटाने के लिए लगातार कह

रहे थे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

की पेट्रोलियम गाड़ी से भी अनाउंसमेंट

कर दुकान व मकानों से सामान हटाने को

लेकर कहा जा रहा था। लेकिन यह समय

पर दुकानों और मकानों से सामान नहीं

हटाया गया जिसके बाद स्थानीय

प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को

हटाने की कार्रवाई की गई। दुकान व

मकान मालिक अपने कारगजत जिला

कलेक्टर या एडीएम के पास नियम

अनुसार प्रस्तुत करके नियम अनुसार

अपना मुआवजा ले सकते हैं। गोविन्दगढ़

नायब तहसीलदार सुरेश देवदत्त

गोविन्दगढ़ थाने के एएसआई जगदीश

सिंह राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर साईट

इंजीनियर कार्तिक पारीक एवं वीरेंद्र

सिंह मौके पर मौजूद थे।

कार्रवाई से लगभग 1० दिन पहले

मकानों और दुकानों सहित अन्य जगहों

पर लाल मार्किंग कर, मकान एवं दुकानों

से सामान हटाने के लिए लगातार कह

रहे थे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

की पेट्रोलियम गाड़ी से भी अनाउंसमेंट

कर दुकान व मकानों से सामान हटाने को

लेकर कहा जा रहा था। लेकिन यह समय

पर दुकानों और मकानों से सामान नहीं

हटाया गया जिसके बाद स्थानीय

प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को

हटाने की कार्रवाई की गई। दुकान व

मकान मालिक अपने कारगजत जिला

कलेक्टर या एडीएम के पास नियम

अनुसार प्रस्तुत करके नियम अनुसार

अपना मुआवजा ले सकते हैं। गोविन्दगढ़

नायब तहसीलदार सुरेश देवदत्त

गोविन्दगढ़ थाने के एएसआई जगदीश

सिंह राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर साईट

इंजीनियर कार्तिक पारीक एवं वीरेंद्र

सिंह मौके पर मौजूद थे।

कार्रवाई से लगभग 1० दिन पहले

मकानों और दुकानों सहित अन्य जगहों

पर लाल मार्किंग कर, मकान एवं दुकानों

से सामान हटाने के लिए लगातार कह

रहे थे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

की पेट्रोलियम गाड़ी से भी अनाउंसमेंट

कर दुकान व मकानों से सामान हटाने को

लेकर कहा जा रहा था। लेकिन यह समय

पर दुकानों और मकानों से सामान नहीं

हटाया गया जिसके बाद स्थानीय

प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को

हटाने की कार्रवाई की गई। दुकान व

मकान मालिक अपने कारगजत जिला

कलेक्टर या एडीएम के पास नियम

अनुसार प्रस्तुत करके नियम अनुसार

अपना मुआवजा ले सकते हैं। गोविन्दगढ़

नायब तहसीलदार सुरेश देवदत्त

गोविन्दगढ़ थाने के एएसआई जगदीश

सिंह राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर साईट

इंजीनियर कार्तिक पारीक एवं वीरेंद्र

सिंह मौके पर मौजूद थे।

कार्रवाई से लगभग 1० दिन पहले

मकानों और दुकानों सहित अन्य जगहों

पर लाल मार्किंग कर, मकान एवं दुकानों

से सामान हटाने के लिए लगातार कह

रहे थे। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

की पेट्रोलियम गाड़ी से भी अनाउंसमेंट

कर दुकान व मकानों से सामान हटाने को

लेकर कहा जा रहा था। लेकिन यह समय

पर दुकानों और मकानों से सामान नहीं

हटाया गया जिसके बाद स्थानीय

प्रशासन के सहयोग से अतिक्रमण को

हटाने की कार्रवाई की गई। दुकान व

मकान मालिक अपने कारगजत जिला

कलेक्टर या एडीएम के पास नियम

अनुसार प्रस्तुत करके नियम अनुसार

अपना मुआवजा ले सकते हैं। गोविन्दगढ़

नायब तहसीलदार सुरेश देवदत्त

गोविन्दगढ़ थाने के एएसआई जगदीश

सिंह राजमार्ग प्राधिकरण जयपुर साईट

इंजीनियर कार्तिक पारीक एवं वीरेंद्र

सिंह मौके पर मौजूद थे।

कार्रवाई से लगभग 1० दिन पहले